रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277715
CG-DL-E-05112026-277715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 873] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

सं. 27/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 975(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर" (एतस्मिन् पश्चात् जिन्हें विषयगत वस्तुएं कहा गया है) के आयात के मामले में, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 6/8/2022-डीजीटीआर, तारीख 28 मार्च, 2024 के द्वारा विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 27 जून, 2024, जिसे सा.का.नि. 349(अ), तारीख 27 जून, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच आरंभ अधिसूचना फा. सं. 07/20/2026-डीजीटीआर, तारीख 28 सितंबर, 2026, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1क) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प किए गए माल पर एंटी डम्पिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रह तथा क्षति के अवधारण के लिए) नियम, 1995 (एतस्मिन् पश्चात् जिन्हें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 25 और नियम 26 के तहत, मलेशिया से निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के आयातों के माध्यम से विषयगत वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के कथित परिवंचन के संबंध में परिवंचन-रोधी जांच आरंभ की है;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया के माध्यम से देश-आधारित परिवंचन के प्रथमदृष्टया साक्ष्य पाए हैं और उक्त नियमावली के नियम 26 के उपनियम (4क) के अनुसार मलेशिया से निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के आयातों का अनंतिम आकलन किए जाने तथा आयातकों से समुचित गारंटी प्राप्त किए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1क) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 26 के उपनियम (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा आदेश देती है कि उक्त परिवंचन-रोधी जांच के परिणाम आने तक, मलेशिया से निर्यातित जांचाधीन उत्पाद, अर्थात् "मिश्र धातु इस्पात छेनी/उपकरण एवं पूर्णतः संयोजित अवस्था में हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर", जिनमें नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में सूचीबद्ध हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के सात संयोजन/उप-संयोजन/घटक भी सम्मिलित हैं, के भारत में आयात उक्त नियमावली के नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक अनंतिम आकलन के अधीन रखे जाएंगे।

2. अनंतिम आकलन ऐसी गारंटी प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा, जिसे सीमा शुल्क का समुचित अधिकारी उचित समझे, ताकि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों तथा उक्त नियमावली के नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन केंद्र सरकार के निर्णय के फलस्वरूप देय हो सकने वाले प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान किया जा सके।

"*स्पष्टीकरण.*- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऊपर निर्दिष्ट हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के सात संयोजन/उप-संयोजन/घटक निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

(क) फ्रंट हेड,

(ख) बैक हेड,

(ग) हाइड्रोलिक सिलेंडर या रॉक ब्रेकर के लिए पिस्टन;

(घ) सिलेंडर बॉडी या हाइड्रोलिक यूनिट (हाइड्रोलिक बॉडी में फ्रंट हेड, बैक हेड, सिलेंडर और पिस्टन सम्मिलित हैं),

(ङ) ब्रैकेट,

(च) फ्रेम,

(छ) हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के लिए सिलेंडर,

जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 27 जून, 2024 की तालिका डी 1 में उल्लिखित है। "

टिप्पणी: यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 27 जून, 2024, जिसे सा.का.नि. 349(अ), तारीख 27 जून, 2024 के तहत भारत के राजपत्र,

असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क, जहां भी लागू हो, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार लगाया और संगृहीत किया जाता रहेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/160/2023-टीओ(टीआरयू-I)]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

No. 27/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 975(E).— Whereas, in the matter of import of Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Korea RP, the designated authority, *vide* its final findings notification F. No. 6/8/2022-DGTR, dated the 28th March, 2024, had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2024-Customs (ADD), dated the 27th June, 2024, published *vide* number G.S.R. 349(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th June, 2024;

And whereas, the designated authority, *vide* initiation notification F. No. 07/20/2026-DGTR, dated the 28th September, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has initiated an anti-circumvention investigation under section 9A(1A) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 25 and 26 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), concerning alleged circumvention of the anti-dumping duty imposed on import of the subject goods by imports of the product under investigation exported from Malaysia;

And whereas, the designated authority has observed prima facie evidence of country-based circumvention through Malaysia and has recommended provisional assessment of imports of the product under investigation exported from Malaysia and obtaining an appropriate guarantee from the importers in accordance with sub-rule (4A) of rule 26 of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-rule (4A) of rule 26 of the said rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that, pending the outcome of the said anti-circumvention investigation, imports into India of the product under investigation, namely Alloy Steel Chisel/tool and Hydraulic Rock Breaker in fully assembled condition, including the seven assemblies/sub-assemblies/components of hydraulic rock breakers as listed in the Explanation below, exported from Malaysia, shall be subjected to provisional assessment till a decision under sub-rule (3) of rule 27 of the said rules is taken by the Central Government.

2. The provisional assessment shall be subject to furnishing such guarantee as the proper officer of customs deems fit, for payment of the anti-dumping duty, if any, that may become payable consequent upon the recommendations of the designated authority and the decision of the Central Government under sub-rule (3) of rule 27 of the said rules.

"Explanation. - For the purposes of this notification, the seven assemblies/sub-assemblies/components of hydraulic rock breakers referred to above are the following, namely: -

(a) Front head,
(b) Back head,
(c) Piston for hydraulic cylinder or rock breaker,
(d) Cylinder body or hydraulic unit (Hydraulic body consists of front head, back head, cylinder and piston),
(e) Bracket,

(f) Frame,
(g) Cylinder for hydraulic rock breaker,

as mentioned in Table D1 of notification No. 11/2024-Customs (ADD), dated the 27th June, 2024."

Note: It is clarified that the anti-dumping duty imposed *vide* notification No. 11/2024-Customs (ADD), dated the 27th June, 2024, published *vide* number G.S.R. 349(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th June, 2024, wherever applicable, shall continue to be levied and collected in accordance with the provisions of the said notification.

[F. No. CBIC-190354/160/2023-TO(TRU-I)]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.